न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 64/2024(GCMS 2024/224)

(आरटीआई संख्या 212036222196853)

श्री कृष्ण कुक्कड़ निवासी 1/103 हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 93527–49963)

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>18.12.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.10.2024 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी ने उसके प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों पालना किये बिना ही उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. क्लिनीक्ल इस्टेलिसमेंट एक्त के तहत पंजीकरण कराए बिना गैर कानूनी तौर पर डा. साहिब राम गिरी द्वारा संचालित गिरी होस्पीटल में कोविड़–19 संक्रमित रोगियों को भर्ती करके ईलाज करने पर प्रशासन के आदेश पर सीएमएचओ डा. गिरधारी लाल मेहरड़ा द्वारा दिनांक 24.05.2021 को गिरी हॉस्पीटल की जांच के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट व गिरी हास्पीटल में भर्ती कोरोना रोगियों व उनके परिजनों के बयान, विडियो रिकार्डिंग (जो दिनांक 25 मई 2021 को जिला कलक्टर को प्राप्त हुई) की सत्यप्रतियां दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2. डा. एस.आर. गिरी द्वारा क्लिनीकल एक्ट के तहत पंजीकरण कराए बगैर गैरकानूनी तौर पर संचालित गिरी हास्पीटल में कोविड 19 के मरीजों का इलाज करने पर दिनांक 24.05.2021 को तत्कालीन सीएमएचओ (डा. गिरधारी लाल मेहरडा) द्वारा डा. एस आर गिरी हास्पीटल का निरीक्षण के दौरान मौका पर तैयार की गयी फर्द रिपोर्ट में उल्लेखित राज्य सरकार द्वारा आई एल आई (खांसी, जुकाम, बुखार, सांस में तकलीफ) वाले लक्षणों के मरीजों की आरटी–पीसीआर टेस्ट तुरन्त करवाने बाबत जारी निर्देश/गाइड लाईन की सत्यापित दी जावे।

अतः अग्रिम निर्धारित शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रेषित कर निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रदाय करने हेतु नियत समयावधि 5 दिन में वांछित सूचना प्रदान की जावे।

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./पंजीयन/2024/1835 दिनांक 19.11.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त अपील के सम्बन्ध मूं अपीलोत्तर निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है:

यह है कि अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन आवदेन दिनांक 02.10.2024 प्राप्ति दिनांक 02.10.2024 को आवेदन प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 01 व 02 तक की जानकारी/सूचना चाही गई। बिन्दु संख्या 01 व 02 द्वारा चाही गई सूचना बाबत सम्बन्धित शाखा को ऑनलाईन भिजवाये जाने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बाबत ऑन लाईन आवेदन दिनांक 07.10.2024 को पुनः किया गया जिसमें बिन्दु संख्या 01 व 02 के अलावा बिन्दु संख्या 03 और अंकित सूचना चाही गई। अपीलार्थी द्वारा स्वयं मौखिक रूप से निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा पूर्व में ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 02.10.2024 को खारिज कर दिया जावे क्योंकि मेरे द्वारा चाही सूचना बाबत मेरे द्वारा दिनांक 07.10.2024 को पुनः आवेदन कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दिया गया है। अपीलार्थी के मौखिक कहे अनुसार ही ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 02.10.2024, दिनांक 08.10.2024 को खारिज किया गया है। स्वयं के स्तर पर खारिज नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज फरमाने की कृपा करे।

लोक सूचना अधिकार एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी ने एक ही सूचना हेतु दो आवेदन पत्र दिनांक 02.10.2024 एवं 07.10.2024 को प्रस्तुत किये गये है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 02.10.2024 के द्वारा 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है और प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2024 के द्वारा 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। अपलार्थी द्वारा दोनों प्रार्थना पत्र में चाही गई के बिन्दु संख्या 01 व 02 एक समान थे। इसलिए अपीलर्थी ने उसके द्वारा प्रस्तुत ऑन लाईन आवेदन दिनांक 02.10.2024 को खारिज करने की प्रार्थना करने पर, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसका प्रार्थना पत्र दिनांक 08.10.2024 को ऑनलाईन ही खारिज किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 02.10.2024 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए अपीलार्थी द्वारा उसके आवेदन पत्र दिनांक 02.10.2024 के खिलाफ प्रस्तुत की गई खारिज करने योग्य है और अपीलार्थी अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 07.10.2024 पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.12.20[illegible] **को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:19 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर